

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 205वीं बैठक दिनांक 11.08.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में आवासीय भूखण्डों एवं ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों में निर्धारित समयान्तर्गत निर्माण न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पट्टा प्रलेख में निर्धारित अवधि के पश्चात भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि निम्नानुसार समयवृद्धि शुल्क के साथ प्रदान की जायेगी :-

निर्माण हेतु अनुमन्य अवधि के पश्चात समयवृद्धि हेतु	समयवृद्धि शुल्क (आवंटन दर का)
1 वर्ष	01 प्रतिशत
2 वर्ष	02 प्रतिशत
3 वर्ष	03 प्रतिशत
4 वर्ष	04 प्रतिशत
5 वर्ष	05 प्रतिशत
6 वर्ष	06 प्रतिशत
7 वर्ष	07 प्रतिशत
8 वर्ष	08 प्रतिशत
9 वर्ष	09 प्रतिशत
10 वर्ष	10 प्रतिशत

दस वर्ष के पश्चात आवंटन दर के 10 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार समयवृद्धि प्रदान करने का निर्णय गुणदोष के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रितु माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी